

Bill No.30 of 2020

**THE FARMERS' PRODUCE TRADE AND COMMERCE
(PROMOTION AND FACILITATION) (RAJASTHAN
AMENDMENT) BILL, 2020**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend, and add special provisions in, the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, in its application to the State of Rajasthan, with a view to restore the safeguards for the farmers of the State of Rajasthan through the regulatory framework of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Rajasthan Act No. 38 of 1961), in order to secure and protect the interests and livelihood of farmers, farm labourers and also all others engaged in agriculture and related activities.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-first Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.-(1) This Act may be called the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) (Rajasthan Amendment) Act, 2020.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date, as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 1, Central Act No. 21 of 2020.- For the existing sub-section (2) of section 1 of the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 (Central Act No. 21 of 2020), hereinafter referred to as the principal Act, in its application to the State of Rajasthan, the following shall be substituted, namely:-

“(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.”.

3. Amendment of section 2, Central Act No. 21 of 2020.- In section 2 of the principal Act,-

(i) the existing clause (a) shall be renumbered as

clause (aaa) and before the clause (aaa) so renumbered, the following clauses shall be inserted, namely:-

“(a) “APMC Rules” means Rajasthan Agricultural Produce Markets Rules, 1963;

(aa) “Director” means the Director of Agriculture Marketing for the State of Rajasthan;”;

(ii) after the existing clause (f) and before the existing clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(ff) “Market Committee” means the Market Committee as defined in clause (ix) of section 2 of the State APMC Act;

(fff) “Minimum Support Price” shall mean the price announced for crop purchases by the Central Government in consultation with the Commission for Agricultural Costs and Prices;”;

(iii) for the existing clause (i), the following shall be substituted, namely:-

“(i) “prescribed” means prescribed by the rules made by the Central Government or the State Government, as the case may be, under this Act;”;

(iv) for the existing clause (k), the following shall be substituted, namely:-

“(k) “State” means the State of Rajasthan;”;
and

(v) for the existing clause (l), the following shall be substituted, namely:-

“(l) “State APMC Act” means the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Rajasthan Act No. 38 of 1961);”.

4. Amendment of section 6, Central Act No. 21 of 2020.-

For the existing section 6 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“6. Regulation of notified agricultural Produce and Levy of cess/cesses in trade area.- (1) The State Government may, from time to time, notify a

Fee/Cess/Cesses/Charges, which shall be levied on notified agricultural produce, brought or bought or sold, as the case may be, by a corporate or trader and/or on the electronic trading and transaction platform, as the case may be, for trade and commerce in a trade area.

(2) The Fees/Cess/Cesses/Charges leviable under sub-section (1) shall be credited in the fund/s, set up for running of market committee and welfare of farmers or other purposes related to welfare and promotion of agriculture or agriculturist.”.

5. Amendment of section 8, Central Act No. 21 of 2020.-

For the existing section 8 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“8. Dispute Resolution Mechanism for farmers.-

In case of any dispute arising out of transaction between the farmer and a trader under section 4, the parties may seek a resolution through the provisions laid down under the State APMC Act and rules made thereunder.”.

6. Amendment of section 14, Central Act No. 21 of 2020.- For the existing section 14 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“14. Act to have overriding effect.- In the State of Rajasthan, subject to the provisions of the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) (Rajasthan Amendment) Act, 2020 (Rajasthan Act No...of.....), the provisions of this Act shall have overriding effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any other instrument having effect by virtue of any law for the time being in force.”.

7. Amendment of section 15, Central Act No. 21 of 2020.- For the existing section 15 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“15. Power of civil court.- The jurisdiction of civil court will be as prescribed in State APMC Act and rules made thereunder.”.

8. Insertion of new sections 16A, 16B and 16C, Central Act No. 21 of 2020.- After the existing section 16 and before the

existing section 17 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

“16A. Special provisions for the State of Rajasthan.- (1) Notwithstanding any judgment, decree, or order of any court or any other instrument, status quo before 5th June, 2020 shall be maintained qua the provisions of State APMC Act and rules made thereunder.

(2) All notices issued by the Central Government or any authority on its behalf under provisions of this Act, shall be deemed to have been suspended and no punitive action shall be taken against any person for violating the provisions of this Act.

16B. Punishment for harassment of farmers.- Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, if any trader causes harassment to the farmers, such trader shall be guilty of committing the offence of harassment to the farmers which shall be punishable with a term of imprisonment of not less than three years and extending upto seven years or fine of not less than five lac rupees or both.

Explanation I.- For the purpose of this section, where the offence is committed by a company, all the directors of the company, where the offence is committed by a limited liability partnership firm, all the partners of such firm and where the offence is committed by a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932 (Central Act No. 9 of 1932), all the partners of the said firm who were such directors or, as the case may be, partners at the time of commission of offence, shall be guilty of committing the offence of harassment to the farmer.

Explanation II.- For the purpose of this section, an offence of harassment shall be treated to be committed where the trader does not accept the delivery of the farm produce agreed upon or having accepted the delivery does not make the payment to the farmer in accordance with the terms of the agreement or within three days from the date of receipt of delivery of goods, whichever is earlier.

16C. Power of State Government to give directions.- The State Government may, from time to time, in the larger interest of public, issue such directions to the authorities as it may deem fit, for giving effect to the provisions of this Act and it shall be the duty of all the authorities to comply with such directions.”.

9. Insertion of new section 18A, Central Act No. 21 of 2020.- After the existing section 18 and before the existing section 19 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:-

“18A. Power of State Government to make rules.- (1) The State Government may, by notification published in the official gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Every Rule made by the State Government under this Act shall be laid before the House of the State Legislature as soon as may be after it is made, while it is in the session. The Legislature may make any modification in any rule or annul any rule and the rule shall thereafter have the effect only in such modified form or be of no effect as the case may be so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.”.

10. Amendment of section 19, Central Act No. 21 of 2020.- In existing section 19 of the principal Act,-

(i) in sub-section (1), for the existing expression “the Central Government may,” the expression “the State Government may,” shall be substituted; and

(ii) in sub-section (2), for the existing expression “before each House of Parliament.” the expression “before the House of the State Legislature.” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Parliament has enacted the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020 (Central Act No. 21 of 2020), hereinafter referred to as the Central Act, to provide a new regime for trade and commerce in agricultural produce.

There has been extraordinary outrage amongst the farmers, farm labourers and all others engaged in incidental and ancillary agricultural activities including those engaged in handling and sale of agricultural produce including fruits & vegetables etc. Since the direct consequence of the Central Act would be to nullify the minimum support price mechanism that has stood the test of time and introduce several other infirmities and distortions operating to the grave detriment and prejudice of agriculture and the communities associated with it.

The Parliament has introduced a trading mechanism through the Central Act that is vulnerable to encroachment and manipulation by vested corporate interests through provisions contained therein and leaving the farmer open to the vagaries of market forces for getting remunerative price for agriculture produce, including fruits and vegetables. No check has been provided against exploitation of farmer.

As per the Agriculture Census 2015-16, 86.2% of farmers own less than five acres of land and a majority of them own less than two acres of land falling in the category of small and marginal farmers and consequently have limited or no access to multiple markets with an inherent handicap of bargaining power to negotiate fair price contracts, hence, requiring proper protection by the State Legislature to ensure a level playing field, to prevent exploitation and to ensure remunerative price to the farmers.

This is the primary and principal responsibility of the State Government but the Central Act fails to take into account this imperative and this object of the Indian Constitution.

Agriculture, land and markets is the primary legislative domain of the State falling under Entries 14, 18 and 28 of List-II of

Seventh Schedule of the Constitution of India; and 'production, supply and distribution of goods' is also a State subject under Entry 27 of List-II read with Entry 33 of List-III of Seventh Schedule of the Constitution of India.

The Hon'ble Supreme Court of India in the case of Jayant Verma v/s Union of India has categorically held that as per the constitutional scheme in so far as the agriculture is concerned, it is an exclusive State subject. The State Government, therefore, is of the opinion that the Central Act in so far as it encroaches upon the agriculture and market is beyond the legislative competence of the Parliament. However, the State Government at this stage is of the further opinion that it can protect the interest of the farmers, farm labour and those engaged in incidental activities by amending the Central Act in exercise of its powers vested under Article 254(2) of the Constitution.

Therefore, it is proposed to introduce the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) (Rajasthan Amendment) Bill, 2020 to amend the Central Act with a view to protect the interest of farmers, farm labourers, those engaged in ancillary and incidental activities, relating to marketing of agricultural produce and for adherence to the minimum support price mechanism.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Clause 9 of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make such rules as may be necessary for giving effect to the provisions of this Act.

The proposed delegation is of normal character and mainly relates to the matters of detail.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE FARMERS' PRODUCE
TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND
FACILITATION) ACT, 2020
(Central Act No. 21 of 2020)**

XX XX XX XX XX

1. Short title and commencement.- (1) xx xx xx

(2) It shall be deemed to have come into force on the 5th day of June, 2020.

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) “electronic trading and transaction platform” means a platform set up to facilitate direct and online buying and selling for conduct of trade and commerce of farmers’ produce through a network of electronic devices and internet applications, where each such transaction results in physical delivery of farmers’ produce;

(b) to (h) xx xx xx xx

(i) “prescribed” means prescribed by the rules made by the Central Government under this Act;

(j) xx xx xx xx

(k) “State” includes the Union territory;

(l) “State APMC Act” means any State legislation or Union territory legislation in force in India, by whatever name called, which regulates markets for agricultural produce in that State;

(m) to (n) xx xx xx xx

XX XX XX XX XX

6. Market fee under State APMC Act, etc., in trade area. - No market fee or cess or levy, by whatever name called, under any State APMC Act or any other State law, shall be levied on any farmer or trader or electronic trading and transaction platform for trade and commerce in scheduled farmers’ produce in a trade area.

XX XX XX XX XX

8. Dispute Resolution Mechanism for farmers.- (1) In case of any dispute arising out of a transaction between the farmer and a trader under section 4, the parties may seek a mutually acceptable solution through conciliation by filing an application to the Sub-Divisional Magistrate who shall refer such dispute to a Conciliation Board to be appointed by him for facilitating the binding settlement of the dispute.

(2) Every Board of Conciliation appointed by the Sub-Divisional Magistrate under sub-section (1), shall consist of a chairperson and such members not less than two and not more than four, as the Sub-Divisional Magistrate may deem fit.

(3) The chairperson shall be an officer serving under the supervision and control of the Sub-Divisional Magistrate and the other members shall be persons appointed in equal numbers to represent the parties to the dispute and any person appointed to represent a party shall be appointed on the recommendation of that party:

Provided that, if any party fails to make such recommendation within seven days, the Sub-Divisional Magistrate shall appoint such persons as he thinks fit to represent that party.

(4) Where, in respect of any dispute, a settlement is arrived at during the course of conciliation proceedings, a memorandum of settlement shall be drawn accordingly and signed by the parties to such dispute which shall be binding upon the parties.

(5) If the parties to the transaction under sub-section (1) are unable to resolve the dispute within thirty days in the manner set out under this section, they may approach the Sub-Divisional Magistrate concerned who shall be the “Sub-Divisional Authority” for settlement of such dispute.

(6) The Sub-Divisional Authority on its own motion or on a petition or on the reference from any Government agency take cognizance of any contravention of the provisions of section 4 or rules made thereunder and take action under sub-section (7).

(7) The Sub-Divisional Authority shall decide the dispute or contravention under this section in a summary manner within thirty days from the date of its filing and after giving the parties an opportunity of being heard, he may—

(a) pass an order for the recovery of the amount under dispute; or

(b) impose a penalty as stipulated in sub-section (1) of section 11; or

(c) pass an order for restraining the trader in dispute from undertaking any trade and commerce of scheduled farmers' produce, directly or indirectly under this Act for such period as it may deem fit.

(8) Any party aggrieved by the order of the Sub-Divisional Authority may prefer an appeal before the Appellate Authority (Collector or Additional Collector nominated by the Collector) within thirty days of such order who shall dispose of the appeal within thirty days from the date of filing of such appeal.

(9) Every order of the Sub-Divisional Authority or Appellate Authority under this section shall have force of the decree of a civil court and shall be enforceable as such, and decretal amount shall be recovered as arrears of land revenue.

(10) The manner and procedure for filing a petition or an application before the Sub-Divisional Authority and appeal before the appellate authority shall be such as may be prescribed.

XX XX XX XX XX

14. Act to have overriding effect.- The provisions of this Act shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any State APMC Act or any other law for time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law for the time being in force.

15. Bar of jurisdiction of civil court.- No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter, the cognizance of which can be taken and disposed of by any authority empowered by or under this Act or the rules made thereunder.

XX XX XX XX XX

19. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make

such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to it to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of the period of three years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before each House of Parliament.

XX

XX

XX

XX

XX

2020 का विधेयक सं.30

¼izkf/kd`r fgUnh vuqokn½

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए अन्य समस्त व्यक्तियों के भी हितों और आजीविका की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) के विनियामक ढांचे के माध्यम से राजस्थान राज्य के कृषकों के लिए रक्षोपायों को पुनःस्थापित करने की दृष्टि से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में संशोधित करने और उसमें विशेष उपबंधों को जोड़ने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के इकहतरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 21 की धारा 1 का संशोधन.- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 की विद्यमान

उप-धारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(2) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।"

3. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 21 की धारा 2 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (क) को खण्ड (ककक) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जायेगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित खण्ड (ककक) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(क) "कृषि उपज मण्डी नियम" से राजस्थान कृषि उपज मण्डी नियम, 1963 अभिप्रेत है;

(कक) "निदेशक" से राजस्थान राज्य का कृषि विपणन निदेशक अभिप्रेत है;";

(ii) विद्यमान खण्ड (च) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (छ) से पूर्व, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

"(चच) "मण्डी समिति" से राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ix) में यथापरिभाषित मण्डी समिति अभिप्रेत है;

(चचच) "न्यूनतम समर्थन मूल्य" से कृषि लागत और मूल्य आयोग के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा फसल खरीद के लिए घोषित मूल्य अभिप्रेत है;";

(iii) विद्यमान खण्ड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(झ) "विहित" से केन्द्रीय सरकार या, यथास्थिति, राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;";

(iv) विद्यमान खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ट) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है;"; और

(v) विद्यमान खण्ड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(ठ) "राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम" से राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) अभिप्रेत है;"।

4. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 21 की धारा 6 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"6. व्यापार क्षेत्र में अधिसूचित कृषि उपज का विनियमन और उपकर/उपकरणों का उद्ग्रहण.- (1) राज्य सरकार, समय-समय पर, ऐसी फीस/उपकर/उपकरणों/प्रभारों को अधिसूचित कर सकेगी जो किसी व्यापार क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य के लिए किसी कॉरपोरेट या व्यापारी द्वारा और/या, यथास्थिति, इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म पर, लायी गयी या क्रीत या, यथास्थिति, विक्रीत अधिसूचित कृषि उपज पर उद्गृहीत किये जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन उद्ग्रहणीय फीस/ उपकर/ उपकरणों/प्रभारों को मण्डी समिति के परिचालन के लिए और कृषकों के कल्याण अथवा कृषि या कृषक के कल्याण और संवर्धन से संबंधित अन्य प्रयोजनों के लिए गठित निधि/निधियों में जमा किया जायेगा।"।

5. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 21 की धारा 8 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 8 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"8. कृषकों के लिए विवाद समाधान तंत्र.- धारा 4 के अधीन कृषक और किसी व्यापारी के बीच किसी संव्यवहार से उद्भूत किसी विवाद की दशा में, पक्षकार राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन अधिकथित उपबंधों के माध्यम से किसी समाधान की ईप्सा कर सकेंगे।"

6. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 21 की धारा 14 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 14 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"14. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.- कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 2020 (..... का राजस्थान अधिनियम सं.) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, राजस्थान राज्य में, इस अधिनियम के उपबंधों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी अन्य लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, अध्यारोही प्रभाव होगा।"

7. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 21 की धारा 15 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"15. सिविल न्यायालय की शक्ति.- सिविल न्यायालय की अधिकारिता ऐसी होगी जो राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों में विहित है।"

8. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 21 में नयी धाराओं 16क, 16ख और 16ग का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 16 के पश्चात् और विद्यमान धारा 17 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धाराएं अंतःस्थापित की जायेंगी, अर्थात्:-

"16क. राजस्थान राज्य के लिए विशेष उपबंध.- (1) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश या किसी अन्य लिखत के होते हुए भी, राज्य कृषि उपज मण्डी अधिनियम और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों की 5 जून, 2020 से यथापूर्व की स्थिति बनायी रखी जायेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार या उसके निमित्त किसी प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन जारी किये गये समस्त नोटिस निलंबित हुए समझे जायेंगे और इस अधिनियम

के उपबंधों के अतिक्रमण के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दण्डिक कार्रवाई नहीं की जायेगी।

16ख. कृषकों के उत्पीड़न के लिए दण्ड.- तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यापारी कृषकों का उत्पीड़न करता है तो ऐसा व्यापारी कृषकों के उत्पीड़न के अपराध को कारित करने का दोषी होगा, जो ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी और जो सात वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये से कम का नहीं होगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

स्पष्टीकरण I.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, जहां अपराध किसी कंपनी द्वारा कारित किया जाता है, वहां ऐसी कंपनी के समस्त निदेशक, जहां अपराध किसी सीमित दायित्व भागीदारी फर्म द्वारा कारित किया जाता है, वहां ऐसी फर्म के समस्त भागीदार और जहां अपराध भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 9) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी भागीदारी फर्म द्वारा कारित किया जाता है, वहां उक्त फर्म के समस्त भागीदार, जो अपराध के कारित किये जाने के समय ऐसे निदेशक या, यथास्थिति, भागीदार थे, कृषक का उत्पीड़न करने के अपराध को कारित किये जाने के दोषी होंगे।

स्पष्टीकरण II.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, उत्पीड़न का कोई अपराध कारित किया गया माना जायेगा, जहां व्यापारी करार पायी गयी कृषि उत्पाद के परिदान को स्वीकार नहीं करता है या परिदान को स्वीकार कर लिये जाने पर कृषक को करार के निबंधनों के अनुसार या माल के परिदान की प्राप्ति की तारीख से तीन दिवस के भीतर-भीतर, जो भी पहले हो, संदाय नहीं करता है।

16ग. राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति.- सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए, वृहद्

लोकहित में, समय-समय पर, प्राधिकारियों को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जैसाकि वह उचित समझे और ऐसे निदेशों का अनुपालन करना उन समस्त प्राधिकारियों का कर्तव्य होगा।"।

9. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 21 में नयी धारा 18क का अंतःस्थापन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 18 के पश्चात् और विद्यमान धारा 19 से पूर्व, निम्नलिखित नयी धारा अंतःस्थापित की जायेगी, अर्थात्:-

"18क. राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जायेगा। विधान-मण्डल किसी नियम में कोई भी उपान्तरण कर सकेगा या किसी नियम को बातिल कर सकेगा और तत्पश्चात् वह नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपान्तरण या बातिलकरण उस नियम के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।"।

10. 2020 के केन्द्रीय अधिनियम सं. 21 की धारा 19 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 19 में,-

(i) उप-धारा (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "केन्द्रीय सरकार" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य सरकार" प्रतिस्थापित की जायेगी; और

(ii) उप-धारा (2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष" के स्थान पर अभिव्यक्ति "राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

संसद् ने कृषि उपज के व्यापार और वाणिज्य की नई व्यवस्था का उपबंध करने के लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21), जिसे इसमें इसके पश्चात् केन्द्रीय अधिनियम कहा गया है, अधिनियमित किया है।

कृषकों, कृषि श्रमिकों और फलों तथा सागभाजी इत्यादि सहित कृषि उपज के संचालन और विक्रय में लगे हुए व्यक्तियों को सम्मिलित करते हुए आनुषंगिक और प्रासंगिक कृषि क्रियाकलापों में लगे हुए समस्त अन्य व्यक्तियों में असाधारण रोष है। चूंकि इस केन्द्रीय अधिनियम का प्रत्यक्ष परिणाम न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र, जो कि समय की कसौटी पर खरा उतरा है, को निष्प्रभावी करना होगा और इससे कृषि तथा इससे संबद्ध समुदायों के गंभीर अहित और पूर्वाग्रह को संचालित करने वाली विभिन्न अन्य दुर्बलताएं और विकृतियां उत्पन्न होंगी।

संसद् ने इस केन्द्रीय अधिनियम के माध्यम से एक ऐसे व्यापार तंत्र की शुरुआत की है जो कि इसमें अंतर्विष्ट उपबंधों के माध्यम से निहित कॉरपोरेट हितों द्वारा अधिक्रमण और छल-कपट के प्रति असुरक्षित है और यह कृषक को फलों और सागभाजी सहित कृषि उपज की लाभकारी कीमत प्राप्त करने के लिए मण्डी शक्तियों के उतार चढ़ाव के सामने खुला छोड़ देता है। कृषक के शोषण के विरुद्ध रोक का कोई उपबंध नहीं किया गया है।

2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार 86.2 प्रतिशत कृषक पांच एकड़ से कम की भूमि का स्वामित्व रखते हैं और उनमें से अधिकांश दो एकड़ से कम की भूमि का स्वामित्व रखने वाले लघु और सीमांत कृषकों के प्रवर्ग में आते हैं और परिणामस्वरूप उनकी उचित

मूल्य संविदा की सौदेबाजी के लिए मोलभाव शक्ति की अंतर्निहित अक्षमता के कारण बहुल मण्डियों तक सीमित पहुंच होती है या बिल्कुल नहीं होती है, अतः कृषकों को समान अवसर देना सुनिश्चित करने, शोषण को रोकने और लाभकारी कीमत सुनिश्चित करने के लिए राज्य विधान-मण्डल द्वारा समुचित संरक्षण अपेक्षित है;

यह राज्य सरकार की प्राथमिक और प्रमुख जवाबदेही है किन्तु यह केन्द्रीय अधिनियम भारतीय संविधान की इस अनिवार्यता और इस उद्देश्य का ध्यान रखने में विफल रहा है;

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 की प्रविष्टियों 14, 18 और 28 के अधीन कृषि, भूमि और बाजार राज्य का प्राथमिक विधायी अधिकार-क्षेत्र है; और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-3 की प्रविष्टि 33 के साथ पठित सूची-2 की प्रविष्टि 27 के अधीन 'माल का उत्पादन, प्रदाय और वितरण' भी राज्य का विषय है;

माननीय उच्चतम न्यायालय ने जयंत वर्मा बनाम भारत संघ के मामले में स्पष्ट रूप से धारित किया है कि जहां तक कृषि का संबंध है, सांविधानिक स्कीम के अनुसार यह अनन्य रूप से राज्य का विषय है। इसलिए, राज्य सरकार की यह राय है कि यह केन्द्रीय अधिनियम जहां तक कि वह कृषि और मण्डी पर अधिक्रमण करता है वह संसद् की विधायी सक्षमता के परे है। तथापि, इस प्रक्रम पर राज्य सरकार की आगे यह राय है कि वह संविधान के अनुच्छेद 254(2) के अधीन निहित अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस केन्द्रीय अधिनियम में संशोधन करके कृषकों, कृषि श्रमिकों और आनुषंगिक क्रियाकलापों में लगे हुए व्यक्तियों के हितों की संरक्षा कर सकती है।

इसलिए, कृषकों, कृषि श्रमिकों, और जो कृषि उपज के विपणन से संबंधित प्रासंगिक और आनुषंगिक क्रियाकलापों में लगे हुए हैं, के हितों की संरक्षा की दृष्टि से और न्यूनतम समर्थन मूल्य तंत्र का पालन किये जाने हेतु केन्द्रीय अधिनियम को संशोधित करने के लिए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020 को पुरःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।
अतः विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 9, यदि अधिनियमित किया जाता है तो राज्य सरकार को ऐसे नियम, जो इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों, बनाने के लिए सशक्त करेगा।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम,
2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 21) से लिये गये उद्धरण

- XX XX XX XX XX
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) XX XX XX XX XX
- (2) यह 5 जून, 2020 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।
2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म" से कृषक उपज का, किसी इलैक्ट्रॉनिक युक्तियों और इंटरनेट प्रयोग के नेटवर्क के माध्यम से व्यापार और वाणिज्य के संचालन हेतु प्रत्यक्ष और आनलाइन क्रय और विक्रय को सुकर बनाने के लिए स्थापित ऐसा प्लेटफार्म अभिप्रेत है, जहां प्रत्येक ऐसे संव्यवहार का परिणाम कृषक उपज का वास्तविक परिदान होता है;

(ख) से (ज) XX XX XX XX XX

(झ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) XX XX XX XX XX

(ट) "राज्य" के अंतर्गत संघ राज्यक्षेत्र भी है;

(ठ) "राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम" से भारत में प्रवृत्त कोई ऐसा राज्य विधान या संघ राज्यक्षेत्र का विधान, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है, जो उस राज्य में की कृषि उपज को विनियमित करता है;

(ड) से (ढ) XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX

6. व्यापार क्षेत्रों में राज्य कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम,
आदि के अधीन बाजार फीस.- किसी राज्य कृषि उपज बाजार समिति

अधिनियम या किसी अन्य राज्य विधि के अधीन किसी कृषक या व्यापारी या इलैक्ट्रॉनिक व्यापारिक और संव्यवहार प्लेटफार्म से किसी व्यापार क्षेत्र में अनुसूचित कृषक उपज में व्यापार और वाणिज्य के लिए कोई बाजार फीस या उपकर या उद्ग्रहण चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा।

XX

XX

XX

XX

XX

8. कृषकों के लिए विवाद समाधान तंत्र.- (1) इस अधिनियम की धारा 4 के अधीन कृषक और किसी व्यापारी के बीच किसी संव्यवहार से उद्भूत किसी विवाद की दशा में, पक्षकार, आवेदन फाइल करके उपखंड मजिस्ट्रेट से, सुलह के मार्फत पारस्परिक प्रतिग्राह्य समाधान की ईप्सा कर सकेंगे जो ऐसे विवाद को, विवाद के आबद्धकर परिनिर्धारण को सुकर बनाने के लिए उसके द्वारा नियुक्त सुलह बोर्ड को निर्दिष्ट करेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त प्रत्येक सुलहबोर्ड, एक अध्यक्ष और कम से कम दो और चार से अनधिक ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा जिन्हें उपखंड मजिस्ट्रेट ठीक समझे।

(3) अध्यक्ष, उपखंड मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन सेवारत कोई अधिकारी होगा और अन्य सदस्य विवाद के पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने हेतु बराबर संख्या में नियुक्त व्यक्ति होंगे और किसी पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति उस पक्षकार की सिफारिश पर नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यदि कोई पक्षकार, सात दिन के भीतर ऐसी सिफारिश करने में असफल रहेगा तो उपखंड मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करेगा जिन्हें वह उस पक्षकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए ठीक समझे।

(4) जहां, सुलह कार्यवाहियों के दौरान किसी विवाद के संबंध में कोई समाधान हो जाता है वहां तदनुसार समाधान ज्ञापन बनाया जाएगा और वह ऐसे विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित होगा जो पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

(5) यदि उपधारा (1) के अधीन संव्यवहार के पक्षकार, इस धारा के अधीन उपवर्णित रीति में तीस दिन के भीतर विवाद का समाधान करने में असमर्थ रहते हैं तो वे संबद्ध उपखंड मजिस्ट्रेट से सम्पर्क कर सकेंगे जो ऐसे विवाद के समाधान के लिए उपखंड प्राधिकारी होगा।

(6) उपखंड प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से या किसी याचिका के आधार पर या किसी सरकारी अभिकरण से निर्देश के आधार पर धारा 4 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के किसी उल्लंघन का संज्ञान लेगा और उपधारा (7) के अधीन कार्रवाई करेगा।

(7) उपखंड प्राधिकारी, इस धारा के अधीन विवाद या उल्लंघन का विनिश्चय, उसके फाइल किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर संक्षिप्त रीति में करेगा और-

(क) विवादाधीन रकम की वसूली का आदेश पारित कर सकेगा; या

(ख) ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन अनुबद्ध है; या

(ग) इस अधिनियम के अधीन प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे अनुसूचित कृषक उपज के किसी व्यापार और सम्बंधी व्यापारिक कार्य को करने से विवादग्रस्त व्यापारी को अवरुद्ध करने का आदेश पारित कर सकेगा।

(8) उपखंड प्राधिकारी के आदेश से व्यक्ति को पक्षकार, ऐसे आदेश के तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी (कलक्टर या कलक्टर द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर कलक्टर) के समक्ष अपील कर सकेगा जो ऐसी अपील फाइल किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

(9) इस धारा के अधीन उपखंड प्राधिकारी या अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश किसी सिविल न्यायालय की डिक्री का बल रखेगी और

उस रूप में प्रवर्तनीय होगी और डिक्लीत रकम की भू-राजस्व के बकाए के रूप में वसूली की जाएगी।

(10) उपखंड प्राधिकारी के समक्ष कोई याचिका या कोई आवेदन और अपील प्राधिकारी के समक्ष कोई अपील फाइल करने की रीति और प्रक्रिया वह होगी जो विहित की जाए।

XX XX XX XX XX

14. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.- इस अधिनियम के उपबंध, किसी राज्य कृषि उपज विपणन समिति या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के कारण प्रभावी किसी लिखत में अन्तर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

15. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.-किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विषय की बाबत जिसका इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या उसके अधीन सशक्त किसी प्राधिकारी द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है और उसका निपटारा किया जा सकता है, कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।

XX XX XX XX XX

19. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

XX XX XX XX XX

Bill No.30 of 2020

**THE FARMERS' PRODUCE TRADE AND COMMERCE
(PROMOTION AND FACILITATION) (RAJASTHAN
AMENDMENT) BILL, 2020**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend, and add special provisions in, the Farmers' Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Act, 2020, in its application to the State of Rajasthan, with a view to restore the safeguards for the farmers of the State of Rajasthan through the regulatory framework of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Rajasthan Act No. 38 of 1961), in order to secure and protect the interests and livelihood of farmers, farm labourers and also all others engaged in agriculture and related activities.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

Pramil kumar Mathur,
Secretary.

(Ashok Gehlot, Minister-Incharge)

2020 का विधेयक सं.30

कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा कृषि और इससे संबंधित क्रियाकलापों में लगे हुए अन्य समस्त व्यक्तियों के भी हितों और आजीविका की सुरक्षा और संरक्षण के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का राजस्थान अधिनियम सं. 38) के विनियामक ढांचे के माध्यम से राजस्थान राज्य के कृषकों के लिए रक्षोपायों को पुनःस्थापित करने की दृष्टि से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अधिनियम, 2020 को उसके राजस्थान राज्य में लागू होने के संबंध में संशोधित करने और उसमें विशेष उपबंधों को जोड़ने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

31

प्रमिल कुमार माथुर,
सचिव।

(अशोक गहलोट, प्रभारी मंत्री)